न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/170/2018	22–11–2018	30–10–2019

1– रोहिताश पुत्र भागीरथ जाति बलाई निवासी ग्राम जीलो तहसील नीम का थाना, जिला सीकर काश्तकार ग्राम अहमदपुर तहसील व जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1– तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 16.05.2018

उपस्थितः–

01. श्री रामनिवास जाट –वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 16.05.2018 जिसके द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल खारिज किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रा0पत्र गणपत राम की आराजी वाके ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर में स्थित है, का इंतकाल दर्ज करने हेतु पेश किया गया था। क्योंकि गणपत राम पुत्र डालूराम व श्रीमति राधादेवी पत्नी गणपत राम जाति बलाई निवासी जीलो तहसील नीम का थाना जिला सीकर ने मिन अपीलांट के पक्ष में अपनी चल व अचल सम्पत्ति बाबत एक वसीयत दिनांक 25.06.2010 को तहरीर व तकमील कराई गयी। गणपत राम ने अपने हस्ताक्षर किये व श्रीमति राधादेवी ने अंगूठा निशानी किया तथा गवाही करायी गई। उक्त वसीयतनामे को उप पंजीयक नीम का थाना जिला सीकर से उसी दिन तस्दीक कराया। गणपत राम व राधादेवी का स्वर्गवास क्रमशः दि0 29.04.2013 व 29.03.2013 को हो गया। गणपतराम व राधादेवी की चल व अचल सम्पत्ति पर अपीलांट काबिज है। गणपत राम मृतक के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 0.19 है0, 117/1059 रकबा 0.44 है0 मिन अपीलांट के नाम दर्ज करने हेतु प्रा.पत्र अधीनस्थ न्याया0 में पेश किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश का सर्वप्रथम दि0 24.10.2018 को पता चला। नकल प्राप्त कर शीघ्र अपील पेश की गयी है। देरी के लिए पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। अपीलांट का वसीयत के आधार पर विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

अधीनस्थ न्याया0 द्वारा बिना मौके की जांच किये गलत तरीके से प्रा0पत्र खारिज कर दिया है। जबकि वसीयतनामें में गणपत राम व उसकी पत्नी राधादेवी ने स्पष्ट अंकन किया है कि हम अपनी चल व अचल सम्पत्ति के बाबत वसीयत मिन अपीलांट के पक्ष में की है। लेकिन अधीनस्थ न्याया0 द्वारा इस बिन्दू पर कतैई गौर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 116 रकबा 0.19 है0, 117/1059 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम अहमदपुर तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर को अपीलांट के पक्ष में दर्ज व स्वीकार फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न वसीयतनामे की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया। वसीयतनामे से स्पष्ट है कि गणपतराम पुत्र डालूराम जाति बलाई एवं राधादेवी पत्नी गणपत राम जाति बलाई निवासी जीलो तहसील नीम का थाना जिला सीकर द्वारा दिनांक 25.06.2010 को अपीलांट के हक में अपनी चल–अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा तैयार करवाया जाकर उप पंजीयक नीम का थाना जिला सीकर से तस्दीक करवाया गया है। उक्त वसीयत में स्पष्ट अंकित किया गया है कि हम दोनों के स्वर्गवास के बाद हमारी चल–अचल सम्पत्ति का मालिक रोहिताश पुत्र भागीरथ जाति बलाई निवासी हाल जीलो तहसील नीम का थाना जिला सीकर होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दू पर गौर नहीं कर अपीलांट का प्रा0पत्र खारिज किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है उक्त पंजीकृत वसीयतनामे की पुनः जांच कर विधि के सुस्थापित सिद्धांत एवं प्रक्रियानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)